MCDR-MiFLOPbZn/3/2022-AJM-IBM_RO_AJM

Speed post /त्रिव डाक ।/9396/2023

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार खानमंत्रालय भारतीय खान ब्युरो क्षेत्रीय खाननियंत्रीयक का कार्यालय माखूपुरा ओचोगिक क्षेत्र, अजमेर ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in





Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax2695202

दिनांक: 08/05/2023

संख्याः MCDR-MiFL0PbZn/7/2023-AJM-IBM_RO_AJM

प्रेषित: खान एजेंट,

बरोई लैड-जिंक खान,

मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,

विलिज एण्डे पोस्टः जावर,

जिलाः उदयपुर(राजस्थान), पिनः 313901.

(e-mail: Ram.Murari@vedanta.co.in, Shashi.Shukla@vedanta.co.in, Hannelie.Hanson@vedanta.co.in)

विषय: राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी बरोई लैंड-जिंक खान में खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली. 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 27/03/2023 by undersign in presence of your good-self and Shri Nand Lal Swami, Mine Manager of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to the Modified Mining Plan
	approved on 15/07/2021 to the extent given below for the year 2022-23:
	(1) An area of 4.07 hectare was upgraded to G1/G2 level from G3 level of exploration
	against the target of 6.21 hectare.
	(2) The development of 13655.40 meter was achieved against the target of 20400 meters of
	development.
	(3) Total waste generation of 454029 tons was achieved against the target of 429000 tons,
	whereas, the achieved development was in lower side. It is evident that the development
	was less but the waste generation was more than the proposal.
	(4) Plantation of 4190 saplings was carried out against the target of 5000 number of sapling
	plantation.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
 - (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन) वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

MCDR-MiFLOPbZn/3/2022-AJM-IBM_RO_AJM

1/9396/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3. खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 4. रक्षित पत्रवली।

वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक भारतीय खान ब्युरो, अजमेर